.... गृह

(ᲂ᳦ुप-13) िवभाग

अिधसूचना

जयपुर, अ᭍टूबर 24, 2007

जी.एस.आर.70.-बालिववाह᳙ितषेधअिधिनयम, 2006 (2007 काके᭠ᳫीयअिधिनयमसं᭎या-6) क᳧धारा 19 क᳧ उप-धारा (1) के अधीन ᳙द᭜ त शि᭍य᭠ का ᳙योग करते ᱟए रा᭔ य सरकार उ᭍ त अिधिनयम के ᳙योजन को काया᭠ᭅिव᭠ त करने के िलए इसके ᳇ारा िन᭥ निलिखत िनयम बनाती है, अथा᭜ᭅत :-

1. संᭃि᳙ त नाम और ᳙ारंभ.- (1) इन िनयम᭠ का नाम राज᳹ थान बाल िववाह ᳙ितषेध िनयम, 2007 है। (2) ये ऐसी तारीख से ᳙वृ᭜ त ह᭠गे िजसको बाल िववाह ᳙ितषेध अिधिनयम, 2006 राज᳹ थान रा᭔ य म᭠ ᳙वृ᭜ त होता है।

2. प᳦रभाषाएं.-इन िनयम᭠ म᭠, जब तक ᳰक संदभ᭠ᭅ से अ᭠ यथ अपेिᭃत न हो,-

(क) "अिधिनयम"से बाल िववाह ᳙ितषेध अिधिनयम, 2006 (2007 का के᭠ᳫीय अिधिनयम सं. 6) अिभ᳙ेत है;

(ख) "बाल िववाह ᳙ितषेध अिधकारी"से अिधिनयम क᳧ धारा 16 के अधीन रा᭔ य सरकार ᳇ारा इस ᱨप म᭠ िनयु᭍ त कोई अिधकारी अिभ᳙ेत है; और

(ग) "धारा"से अिधिनयम क᳧ धारा अिभ᳙ेत है।

(2) इन िनयम᭠ म᭠᳙यु᭍ त ᳰक᭠ तु प᳦रभािषत नह᳥ᳰकये गये श᭣द᭠ और अिभ᳞ ि᭍य᭠ का वही अथ᭠ᭅ होगा जो अिधिनयम म᭠ उ᭠ ह᭠ समनुदेिशत ᳰकया गया है।

3. बाल िववाह के िनवारण के िलए कार᭠ᭅवाई:-जैसे ही ᳰकसी िशकायत के मा᭟ यम से या अ᭠ यथा बाल िववाह ᳙ितषेध अिधकारी क᳧ जानकारी म᭠ यह आता है ᳰक बाल िववाह का

अनु् ठापन ßकया जाने वाला है वह बाल िववाह के अनु् ठापन के िनवारण के िलए तुरन्त समुिचत कारर्वाई करेगा।

....

4. बाल िववाह के िवरुद्ध कारर्वाई:-बाल िववाह ्रितषेध अिधकारी (िववाह के अिनवायर् रिजस्ट्रीकरण के िलए ßदनांक 22-05-2006 को गृह िवभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन िनयुक्त) िववाह रिजस्ट्रीकरण अिधकारी के अिभलेख का समय-समय पर िनरीक्षण करेगा और यßद ऐसे िनरीक्षण से या अन्यथा वह यह पाता है ßक इस अिधिनयम के अितक्रमण में बाल िववाह अनु् ठािपत ßकया गया है या अनु् ठािपत ßकया जाने वाला है तो वह अिधिनयम के अधीन समुिचत कारर्वाई करेगा।

5. बाल िववाह ्रितषेध अिधकारी के कृत्य:- (1) बाल िववाह ्रितषेध अिधकारी, अिधिनयम के अितक्रमण मेंßकसी िववाह के अनु् ठापन के बारे में कोई िशकायत ्राप्त होने पर या अन्यथा कोई सूचना ्राप्त होने पर, अिधिनयम की धारा 4, 5 और 13 के अधीन समुिचत कारर्वाई करेगा।

(2) बाल िववाह ्रितषेध अिधकारी ऐसी बुराई के ्रित चेतनता पैदा करने के िलए, जो बाल िववाह के कारण होती है और बाल िववाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाने के िलए पक्षकारों के ßकसी भी सम्माननीय सदस्य, ग्राम पंचायत या नगरपािलका के ßकसी अिधकारी, सरकारी/लोक उपक्रम के ßकसी अिधकारी या गैर-सरकारी संगठन के ßकसी पदािधकारी से सहायता मांग सकेगा।

(3) बाल िववाह ्रितषेध अिधकारी वषर् के ्रत्येक ित्रमास के ्रथम सप्ताह में िजला मिजस्ट्रेट को इन िनयमों से संलग्न ्रूप में िववरणी देगा।

....

ेz९प (बाल िववा

कायाभ्ालय उपखᲃ ड मिज᱿Ꮐेट (बाल िववाह ेzितषेध अिधकारी)

सं. : तारीख

ेzेिष

ती,
िजला
मिज᱿Ꮐे
ट
....
....

िवषय:-वषभ्....................... के .... को समाᄀ त होने वाले ि्मास के

िलए बाल िववाह के ेzितषेध के संबंध मᱶ्ैमािसक सूचना।

महोदय,

बाल िववाह के ेzितषेध के संबंध मᱶ्ैमािसक सूचना िनᲩ नानुसार है-

क. सं.	बालक का नाम	बालक के माता-िपता का नाम	बालक कᳱ आयु	वर/वधु का नाम	वर/वधु के माता िपता का नाम	वर/वधु कᳱ आयु	बाल िववाह के अनु᳧ ठापन के संबंध	वह तारीख जब िववाह अनु᳧ ठािपत ᳰकया जाना है	बाल िववाह ेzितषेध अिधकारी ᳇ारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भवदीय,
अिधकारी का नाम,
बाल िववाह ेzितषेध
अिधकारी
ᳲेᲂे᳠.....................

सं या एफ. 6(29)गृह-
13/2007 राᲯ यपाल के आदेश
से, वी.एस.ᳲसह,
ेzमुख शासन
सिचव, गृह

िवभाग।

....

रा३ य के३ ्ीय मु्णालय, जयपुर।